राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक– परीक्षा 5–अ/व्यावसायिक /2021/CE/788339 दिनांकः 11/08/21

एल.एल.बी. तथा विधि डिप्लोमा परीक्षा, 2021 के परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी सूचना

इस कार्यालय की पूर्व विज्ञप्ति क्रमांक परीक्षा 5–अ/व्यावसायिक/2021/722 दिनांक 30.06.2021 के संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय के संघठक (Constituent) विधि महाविद्यालय/विभाग में अध्ययनरत समस्त LL.B.-I, II, III, एवं P.G. Diploma in Labour Law, Taxation, Criminology, Envirnmental Law पाठ्यक्रमों के नियमित एवं पूर्व में सम्बद्ध रहे जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा जिलों के समस्त विधि महाविद्यालयों की LL.B.-I, II, III मुख्य एवं Ex-student/Due Paper परीक्षा–2021 के छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनके परीक्षा–2021 के परीक्षा फार्म वेबसाइट **www.univraj.org** से भरने की तिथि **12.08.2021 से 16.08.2021 तक** बढाई जाती है।

परीक्षा आवेदन–पत्र भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.uniraj.ac.in** पर अपलोड कर दी गई है।

नोटः–

1. परीक्षा फॉर्म भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर 7726953531, टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 18001806433 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
2. आई.सी.आई.सी. बैंक हेल्पलाईन नम्बर– 9116136997
3. एस.बी.आई. बैंक हेल्पलाईन नम्बर– 022–27523818

Sd

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक– परीक्षा 5–अ/व्यावसायिक /2021/CE/788340--350 दिनांकः 11/08/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. (i) समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करलें कि नियमित, पूर्वछात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म सही है एवं दो प्रतियो में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजो के साथ संलग्न हैं।
2. निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण, दिशा निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org पर उपलब्ध है। **विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया महाविद्यालय कोड़ आवश्यक रूप से अंकित करें।**

(ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पार्ट–प्रथम एवं द्वितीय हेतु आवंटित सीटों एवं आवांटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्यो द्वारा परीक्षा फार्मो के साथ संलग्न करना होगा।

(iii) सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन–पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी हैं। यदि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे – परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्त अंकों का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषित करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन–पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रखें तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय आवश्यक समस्त दस्तावेज एवं पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अकंतालिकाएँ आदि संलग्न हो।

उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं ही जिम्मेवार होगा।

3. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
4. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा–2020 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करवाने का श्रम करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा जिलों में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर) में समाचार के रूप में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
6. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई, बैंक, बापू नगर ब्रांच, विश्वविद्यालय केम्पस, जयपुर।
7. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक –द्वितीय/सेलर–I, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. निदेशक, छात्र सलाहकार केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. छात्र सेवा एवं परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

उप कुलसचिव (परीक्षा)